राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश खंडपीठ रीवा जिला रीवाम.प्र.।

R. 5152-दो/15

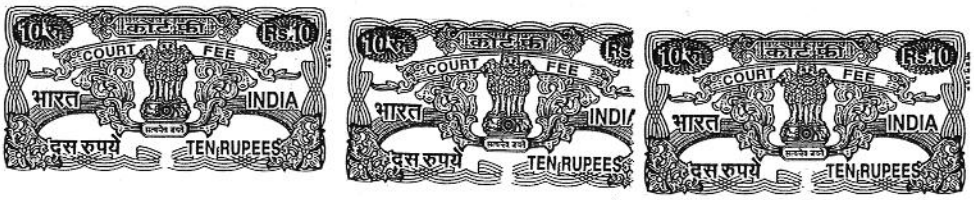

1. समरजीतसिंह   (दोनों के पिता कानाम रामधनसिंह कुर्मी निवासीग्राम टिकरी

2. विजयबहादुरसिंह (~~अवेयाथी~~ हालमुकाम सोहागीतहसीलत्योंथरजिलारीवाम.प्र.

.......निगरानीकर्ता/आवेदकगण

श्री आर.के.आर्य बाद रु. द्वारा पेश 7-11-15

बनाम

अवधेशसिंह तनय हरिशचन्द्रकुर्मी सा. टिकरी तहसीलत्योंथर जिलारीवाम.प्र.।

....गैरनिगरा/अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारीमहोदय त्योंथर रा.जि.प्र.क्र. 115अ27/अपील/14-15निर्णयदिनांक 30.10.2015

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गतधारा 50 (म.प्र.भू.रा.सं. 1959ई0

मान्यवर,

निगरानी प्रकरण का सारांश इसप्रकार है:----

1. यहकि ग्राम सोहागी तहसीलत्योंथर की आ.नं. 274/2रकवा0. 129है0 एवं ~~आरा.नं.~~ आ.नं. 501/2ख रकवा0.202है0के भूमिस्वामी सहखातेदार निगरानीकर्ता हैं निगरानीकर्ता ने तहसीलदारसाहब वृत्त चाक के न्यायालयमें उपरोक्त दोनों किता भूमि नम्बरानों के खाता विभाजन हेतु म.प्र.भू.रा.सं. 1959 कीधारा 178 के तहत आवेदन किया। इश्तहार काप्रकाशन होने एवंसहखातेदार को नोटिस उपरान्ततहसीलदार ने बंटवारापुल्ली जो पटवारीहल्का ने ~~बनाया~~

समरजीत सिंह पटेल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-5152/दो/2015 **जिला** रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश समरजीत/ अवधेश सिंह	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4 –1–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री आर.के. अहिरवार उपस्थित । पकरण में आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया, एवं निगरानी मेमो के संलग्न प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30.10.15 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर द्वारा गैरनिगराकार के पक्षकार बनाए जाने एवं अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति आवेदन आदेश 1 नियम 10 जा.दी. पर विचार किया जाकर आदेश दिनांक 30.10.15 से गैरनिगराकार को वाद भूमि कमांक 274 व 501 में हितधारी होने के आधार पर उसे पक्षकार मानते हुए उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए गैरनिगराकार का आवेदन स्वीकार किया जाकर अनावेदक को तलब करने तथा प्रकरण में अन्तिम तर्क सुने जाने हेतु प्रकरण नियत किया गया है। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुणदोष पर आदेश पारित नहीं किया गथा है। वर्तमान में प्रकरण आवेदक की तलबी की जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाकर अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है जहां पर आवेदक एवं अनावेदक को अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.10.15 से वर्तमान में किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित हुए होने की भी कोई संम्भावना नहीं है। उभयपक्ष को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.10.15 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि न होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। परिणामस्वरूप प्रकरण में ग्राह्यता का समुचित एवं पर्याप्त कारण न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाकर इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो। सदस्य	